**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2948**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**महिला पुलिस स्टेशन**

**2948. श्री संजय सेठः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) देश में कार्यशील महिला पुलिस स्टेशनों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;**

**(ख) आज की तारीख में ऐसे पुलिस स्टेशनों में तैनात महिला पुलिस कर्मियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;**

**(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे पुलिस स्टेशनों में राज्य-वार कुल कितने मामले दर्ज हुए और कितने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई;**

**(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला और बच्‍चों के विरुद्ध अपराध संबंधी विशिष्ट डेस्क स्थापित किया जाए;**

**(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और**

**(च) क्या इन महिला पुलिस स्टेशनों ने महिलाओं को अपराध से बचाने के उद्देश्य को हासिल कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क): पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2017 को देश में कार्यशील महिला पुलिस स्टेशनों की राज्य-वार कुल संख्या अनुलग्नक-। में दी गई है।

(ख) और (ग): इस प्रकार का कोई आंकड़ा सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, ‘पुलिस’ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के तहत आने के कारण राज्‍य का विषय है, इसलिए पुलिस स्टेशनों में पंजीकृत मामलों के प्रति आवश्यक कार्रवाई करना मुख्‍य रूप से राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों की जिम्‍मेदारी है।

**-2-**

**दिनांक 21.03.2018 का राज्‍य सभा अता. प्र. सं. 2948**

(घ) से (च): केंद्र सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श देती है। गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस का प्रतिनिधित्‍व कुल नफरी के 33% तक बढ़ाने के लिए सभी राज्‍य सरकारों को दिनांक 22.04.2013, 21.05.2014 और 12.05.2015 को परामर्शी-पत्र जारी किए हैं। सभी राज्‍य सरकारों से पुरुष कांस्टेबलों के खाली पदों को परिवर्तित करके महिला कॉन्‍स्‍टेबल/उप-निरीक्षक के अतिरिक्‍त पद सृजित करने का अनुरोध किया गया है। इसका लक्ष्‍य यह है कि प्रत्‍येक पुलिस स्‍टेशन में कम से कम 3 महिला उप-निरीक्षक और 10 महिला पुलिस कांस्‍टेबल होनी चाहिएं ताकि महिला हेल्प डेस्क को चौबीस घंटे कार्मिक उपलब्ध कराए जा सकें।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय(डब्‍ल्‍यूसीडी) ने गृह मंत्रालय के सहयोग से पुलिस और समाज के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करने एवं संकट में पड़ी महिलाओं की सहायता करने के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में महिला पुलिस स्‍वयंसेवकों (एमपीवी) को तैनात करने की परिकल्‍पना की है। राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के सभी मुख्‍य सचिवों से इस पहल को अपने संबंधित राज्‍य में अपनाने का अनुरोध किया गया था। एमपीवी का महिलाओं को हिंसा और भेदभाव की शिकायत करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाता है, उसके समाधान के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और उनके मामलों को पुलिस प्राधिकारियों के पास जाने में उन्‍हें सहायता प्रदान की जाती है। एमपीवी, पुलिस स्‍टेशन के भीतर और बाहर दोनों स्‍थानों पर महिला-अनुकूल वातावरण को प्रोत्‍साहित करने में सहायक हैं।

**\*\*\*\*\*\***

 -3-

 अनुलग्‍नक –I

 **दिनांक 21.03.2018 का राज्‍य सभा अता. प्र. सं. 2948**

**देश में कार्यशील महिला पुलिस स्टेशनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्‍या**

 (दिनांक **1.1.2017** की स्थिति के अनुसार)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | **महिला पुलिस स्टेशनों की संख्या** |
|  |  |  |
|  | आंध्र प्रदेश | 18 |
|  | अरूणाचल प्रदेश | 1 |
|  | असम | 0 |
|  | बिहार | 40 |
|  | छत्तीसगढ़ | 4 |
|  | गोवा | 1 |
|  | गुजरात | 38 |
|  | हरियाणा | 22 |
|  | हिमाचल प्रदेश | 5 |
|  | जम्मू एवं कश्मीर | 2 |
|  | झारखंड | 30 |
|  | कर्नाटक | 35 |
|  | केरल | 9 |
|  | मध्य प्रदेश | 0 |
|  | महाराष्ट्र | 0 |
|  | मणिपुर | 9 |
|  | मेघालय | 0 |
|  | मिजोरम | 0 |
|  | नागालैंड | 4 |
|  | ओडिशा | 6 |
|  | पंजाब | 8 |
|  | राजस्थान | 40 |
|  | सिक्किम | 2 |
|  | तमिलनाडु | 203 |
|  | तेलंगाना | 12 |
|  | त्रिपुरा | 7 |
|  | उत्तर प्रदेश | 71 |
|  | उत्तराखंड | 2 |
|  | पश्चिम बंगाल | 40 |
|  | अं. एवं नि. द्वीप समूह | 0 |
|  | चंडीगढ़ | 1 |
|  | दादरा एवं नगर हवेली | 0 |
|  | दिल्ली | 0 |
|  | दमन एवं दीव | 0 |
|  | लक्षद्वीप | 0 |
|  | पुदुचेरी | 3 |
| **कुल अखिल भारत** | 613 |

**\*\*\*\*\*\***